

**In the Court of Principal District Judge, Madhepura**

Title Appeal No. 18/2023

C.I.S. No-18/2023

**हरि नारायण सिंह एवं अन्य ..... अपीलकर्तागण**

**बनाम्**

**मिश्री लाल सिंह एवं अन्य..... उत्तरवादीगण**

**25.10.2024**

अपीलकर्तागण अनुपस्थित है। अपीलकर्तागण के ओर से कोई पैरवी नहीं की गई है। वाद में पुकार करवाया गया। बार-बार पुकार करवाये जाने के बाद भी न तो अपीलकर्तागण और न ही अपीलकर्तागण के ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ही उपस्थित हुए।

अभिलेख, अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2023 को ही उत्तरवादीगण के उपस्थिति वास्ते अपीलकर्तागण को नोटिस का अपेक्षित दाखिल करने हेतु निदेशित किया गया था।

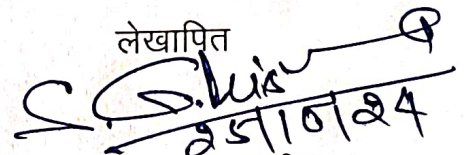
ज्ञातव्य है कि विगत 05 तिथियों से अपीलकर्तागण द्वारा नोटिस का अपेक्षित दाखिल नहीं किया गया है। पुनः दिनांक 31.05.2024 को अपीलकर्तागण के ओर से बिना तलवाना के सामान्य एवं निबंधित नोटिस का अपेक्षित दाखिल किया गया।

तत्पश्चात् दिनांक 24.06.2024 को भी अपीलकर्तागण द्वारा नोटिस का अपेक्षित पूर्णरूप से दाखिल नहीं किया गया एवं दिनांक 13.08.2024 को अपीलकर्तागण की ओर से कोई पैरवी नहीं की गयी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्तागण को प्रस्तुत वाद से कोई अभिरुचि नहीं है।

अपीलकर्तागण को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी अपीलकर्तागण द्वारा आदिनांक तक न्यायालय में नोटिस का अपेक्षित पूर्णरूप से दाखिल नहीं किया गया।

अतः ऐसी परिस्थिति में प्रस्तुत वाद को बिना गुण-दोष पर विचार किए खारिज किया जाता है।

कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख संबंधित न्यायालय को भेंजे एवं अभिलेख, नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित  
  
25/10/24  
प्रधान जिला न्यायाधीश